

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) मण्डला

क्रमांक /2023 / खाद्य-प्रे.नो. / 2023

मण्डला, दिनांक 16/09/2023

प्रेस-नोट

म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 में दिये गये प्राक्खान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान संचालित की जाना है। जिले में विकासखण्ड भवई अन्तर्गत निम्न पंचायत जिनमें उचित मूल्य दुकान संलग्नीकरण हटाया गया है, जिसके कारण रिक्त है। इन पंचायत में दुकान खोलने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	अनुविभाग	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	संस्थाओं द्वारा समिति दुकान विहीन ग्राम पंचायत/रिक्त दुकानों की संख्या	चिह्न
1	बिछिया	भवई	इन्दी	01	

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट <https://rationmitra.nic.in> पोर्टल पर पात्र संस्थाएँ दिनांक 20.09.2023 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जावेगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी
मंडला

पृष्ठा. क्रमांक / / खाद्य-प्रे.नो. / 2023

मण्डला दिनांक / / 2023

1. सहायक संचालक जनसम्पर्क मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
2. सर्व संबंधित जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ।

जिला आपूर्ति अधिकारी
मंडला